उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल
फौजदारी अपील संख्या 258 वर्ष 2014

मोहम्मद पुत्र दीन मोहम्मद
निवासी ग्राम मौहम्मद ऐंठा
थाना पेंसा, जिला कौसाम्बी
उत्तर प्रदेश।
हाल निवासी कैन्टीन न01, मंडी परिसर
हल्द्वानी, नैनीताल .....प्रार्थी/अपीलकर्ता

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य .....प्रतिवादी

उपस्थितः
श्री शक्ति सिंह, अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता
श्री वी0एस0 राठौड़, राज्य की ओर सहायक महाधिवक्ता सहित सुश्री शिवांगी गंगवार एवं गजेन्द्र त्रिपाठी संक्षिप्त धारक

माननीय लोक पाल सिंह, जे.

यह फौजदारी अपील विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम)/सत्र न्यायाधीश, नैनीताल द्वारा दिनांक 15 व 16.7.2014 को पारित निर्णय और आदेश के विरूद्ध योजित की गयी है जिसके अन्तर्गत अपीलकर्ता को भा0द0सं0 की धारा 377 में दोषसिद्ध करते हुए 7 वर्ष के कारावास की सजा एवं 20,000/– रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया तथा भा0द0सं0 की धारा 323 के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है तथा भा0द0ंस0 की धारा 506 के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए दो साल के कठोर कारावास की सजा भुगतने का निर्देश दिया गया

है। यह भी निर्देश दिया गया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अपीलकर्ता को पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए रुपये मु0 20,000/– के जुर्माने के साथ दस वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया। सभी सजाएं एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया।

2. अभियोजन की कहानी संक्षेप में यह है कि थाना हल्द्वानी में पीडब्ल्यू 1 द्वारा इस कथन के साथ एक तहरीर दी गयी कि वह हलद्वानी का निवासी है और 16–17 वर्षों से मंडी, हल्द्वानी में मजदूर के रूप में काम कर रहा है। यह भी कहा गया है कि उनका बेटा पिछले एक साल से आरोपी अपीलकर्ता के साथ काम कर रहा था। उसके बेटे ने उसे बताया कि आरोपी मोहम्मद पिछले पांच महीने से उसके साथ मारपीट करता था और धमकी देकर अप्राकृतिक यौन संबंध भी बनाता था और किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देता था। तहरीर के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0अ0सं0 38 वर्ष 2014 भा0द0सं0 की धारा 377 और 506 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में आरोपी मोहम्मद के खिलाफ दर्ज की गई थी एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट मामले की जांच की गई और जांच पूरी होने पर आरोपी के विरूद्ध भा0द0सं0 की धारा 377, 506, 323 एवं यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो अधिनियम,) 2012 की धारा 3/4 के अन्तर्गत आरोप पत्र दायर किया गया।

3. आरोप पत्र प्राप्त होने पर, मामला सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया। पक्षों को सुनने के बाद अभियोग धारा 377, 323, 506 भा0द0सं0 एवं 3/4 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत आरोपी के विरूद्ध आरोप विरचित किये गये। आरोपों को पढ़ा गया और

आरोपी को समझाया गया, जिस पर उसने खुद को दोषी नहीं बताया और विचारण किये जाने का दावा किया। आरोप से इनकार करने पर, अभियोजन पक्ष ने पी0डब्लयू0–1 शिकायतकर्ता/पीड़ित के पिता (नाम छुपाा गया), पी0डब्लयू0–2 पीड़िता (नाम छुपाया गया) पी0डब्लयू0– 3 शिकायतकर्ता का भाई (नाम छुपाया गया) पी0डब्लयू0– 4 डॉ. विपिन पंत, पी0डब्लयू0–5 कांस्टेबल दीप चंद्र जोशी और पी0डब्ल्यू0–6 उपनिरीक्षक शांति कुमार गंगवार (जांच अधिकारी) से पूछताछ की गई। तत्पश्चात् आरोपी के सामने द0प्र0सं0 की धारा 313 के तहत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य रखे गए, जिसके जवाब में उसने कहा कि उसे दुश्मनी के कारण मामले में झूठा फंसाया गया है। हालाँकि, बचाव में शिव कुमार की परीक्षा डी0डब्लयू0–1 के रूप में की गई तथा अपीलकर्ता ने स्वयं को डी0डब्लयू0–2 के रूप में परीक्षित कराया। विचारण न्यायालय ने पक्षों को सुनने और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद, आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा आरोपी/अपीलकर्ता मोहम्मद को उपरोक्त के अनुसार दोषी ठहराया और सजा सुनाई। इसलिये व्यथित होकर द्वारा यह अपील योजित की गयी है।

4. पी0डब्लयू0–1 ने अपने बयान में कहा है कि उसका बेटा हल्द्वानी मंडी स्थित एक कैंटीन में काम करता था। उसके बेटे ने उसे बताया कि आरोपी मोहममद उसके साथ मारपीट करता था और धमकी देकर पिछले पांच महीने से उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता था।

5. पी0डब्लयू0–2 (पीड़ित) ने अपने बयान में कहा है कि वह हलद्वानी मंडी स्थित एक कैंटीन में एक मजदूर के रूप में काम कर

रहा था, जहां वर्तमान अपीलकर्ता भी काम कर रहा था। उसने आगे कहा कि अपीलकर्ता ने कई बार उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए और किसी को भी बताने की हिम्मत करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। कुछ समय बाद उसने अपने पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को अपीलकर्ता की करतूत बताई और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दज कराई, जिसके बाद पीड़िता की मेडिकल जांच की गई।

6. पीड़िता के चाचा पी0डब्लयू0–3 द्वारा भी पी0डब्लयू0–1 के संस्करण की पुष्टि की गयी है।

7. पी0डब्लयू0–4 डॉ. विपिन पंत, वरिष्ठ रेडियोलॉजिस्ट, जिन्होंने पीड़िता की मेडिकल जांच की, ने मेडिकल रिपोर्ट (एक्स–ए4) को प्रमाणित किया और राय दी कि शारीरिक संबंध का कोई साक्ष्य नहीं है क्योंकि पीड़िता के मलाशय में काई आंतरिक और बाहरी चोट नहीं पाई गई।

8. पी0डब्लयू0–5 कांस्टेबल दीप चंद्रा चिक रिपोर्ट के गवाह है जिसने चिक रिपोर्ट को (प्रदर्श–ए8) के रूप में साबित किया है।

9. पी0डब्लयू0–6 सब इंस्पेक्टर शांति कुमार गंगवार जांच अधिकारी हैं, जिन्होंने जांच पूरी होने पर आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

10. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही में कई भौतिक विरोधाभास हैं और कथित घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि चिकित्सा साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करते हैं। आगे यह भी तर्क दिया गया कि कि अपीलकर्ता को दुश्मनी के कारण अपराध में झूठा फंसाया गया है।

11. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने संपूर्ण तथ्यों की उचित सराहना के बाद अपीलकर्ता को आरोपों के लिए दोषी ठहराया।

12. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया।

13. अपीलकर्ता को धारा 377, 323, 506 भा0द0सं0 और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है। पी0डब्लयू0–1 पीड़ित के पिता ने अपने बयान में कहा है कि उनका बेटा अपीलकर्ता की कैंटीन में एक मजदूर के रूप में काम कर रहा था और विशेष रूप से कहा गया है कि घटना के समय वह 16 साल का था, लेकिन विचारण न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया। अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने के लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य पेश नहीं किया कि घटना के समय पीड़ित की उम्र 16 वर्ष थी। पीड़ित की उम्र साबित करने के लिए काई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे यह संदेह पैदा होता है कि घटना के दिन आरोपी नाबालिग था या नहीं।

14. अपनी प्रतिपरीक्षा में पीडब्ल्यू–2 (पीड़ित) ने कहा है कि शिवकुमार और रमेश भी उसके साथ कैंटीन में काम करते थे और वे कैंटीन के कमरे मे एक साथ सोते थे। पीडब्ल्यू 2 का यह संस्करण उसकी गवाही पर संदेह पैदा करता है क्योंकि पीड़ित, शिवकुमार, रमेश और अपीलकर्ता दोनों एक ही कमरे में एक साथ सोते हैं, लेकिन इन दोनों में से किसी ने भी यानी शिवकुमार और रमेश ने कथित घटना को नहीं देखा और अपीलकर्ता के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगया, बल्कि बचाव में डी0डब्ल्यू–2 शिवकुमार ने शपथपत्र में

कहा है कि वह, अपीलकर्ता और पीड़ित एक कमरे में एक साथ सोते हैं और उन्होंने अपीलकर्ता को कभी भी पीड़ित के साथ गलत काम करते नहीं देखा। उसने आगे कहा कि कैंटीन के बगल में रेस्तरां था जो 12 बजे तक खुला रहता था।

15. आरोपी–अपीलकर्ता जिसने खुद को डी0डब्ल्यू0–2 के रूप में परीक्षित कराया है, ने कहा है कि उसके साथी नंदलाल साहू ने कैंटीन की निविदा हड़पने के लिए उसे झूठे अपराध में फंसाया है।

16. पीडब्ल्यू–4 डॉ विपिन रावत, जिन्होंने पीड़ित का चिकित्सीय परीक्षण किया है, ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पीड़ित पर अप्राकृतिक यौनाचार का कोई सबूत नहीं हैं। उन्होंने अपीलकर्ता की चिकित्सीय जांच भी की और उसके शरीर और अंग पर कोई चोट नहीं पाई। पैथोलॉजिकल रिपोर्ट के अनुसार स्लाइड में कोई मृत या जीवित शुक्राणु नहीं पाया गया।

17. चिकित्सीय साक्ष्य आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध निश्चित हो सकते हैं और होने भी चाहिए, लेकिन वर्तमान में मामले में, चिकित्सा साक्ष्य अभियोजन की कहानी से मेल नहीं खाते थे। पीड़िता की मेडिकल जांच में उसके अंदरूनी या बाहरी हिस्से पर कोई चोट नहीं पाई गई है। इस प्रकार, इस न्यायालय का मत है कि अभियोजन पक्ष सोडोमी के आरोप को साबित करने के लिए कोई भी चिकित्सीय साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा।

18. पीडब्ल्यू–2 (पीड़ित) ने बयाद दिया है कि कि आरोपी ने पिछले पांच महीनों से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे और उसे धमकी दी थी कि वह इस घटना के बारे में किसी को न बताए अन्यथा वह उसे मार डालेगा। यदि अपीलकर्ता ने कुछ गलत किया है, तो ऐसी

सामान्य परिस्थितियों में, पी0डब्ल्यू0–2 ने चिल्लाकर लोगों को मदद के लिए बुलाया होगा, क्योंकि कैंटीन के बगल में एक रेस्तरां था जो डी0डब्ल्यू0–1 के संस्करण के अनुसार 12 बजे तक खुला रहता था, लेकिन अपने बयान में पीड़ित ने कहा है कि कैंटीन के आसपास कोई नहीं रहता, जिससे उसकी गवाही पर संदेह पैदा होता है। अपीलकर्ता ने द0प्र0सं0 की धारा 313 के तहत साक्ष्य दिया कि उिसे दुश्मनी के कारण मामले में झूठा फंसाया गया है क्योंकि उसका साथी कैंटीन को हड़पना और अकेले चलाना चाहता है।

19. इस न्यायालय का मत है कि विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में और चिकित्सा साक्ष्य की पुष्टि न होने के कारण, आरोपी अपीलकर्ता को संदेह का लाभ दिया जा सकता है।

20. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णयों की श्रृंखला में यह माना है कि यदि आपराधिक मनःस्थिति के संबंध में कोई उचित संदेह पैदा होता है तो संदेह का लाभ यह मानकर आरोपी को दिया जाएगा कि आरोप संदेह से परे स्थापित नहीं किया गया है। यह साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है कि आरोपी ने पीड़ित के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे यह सुस्थापित विधि है कि पीड़ित की एकान्त गवाही आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है, बशर्ते गवाही बेदाग और भरोसेमंद हो। यह विश्वसनीय होना चाहिए ताकि यह सथापित हो सके कि आरोपी ने बिना किसी उचित संदेह के अपराध किया है। अभियोजन पक्ष संदेह से परे आरोपी के अपराध को स्पष्ट रूप से साबित करने में विफल रहा है, इसलिए अभियोजन पक्ष आरोपी को दोषी ठहराने के लिए उसके विरूद्ध ठोस साक्ष्य पेश करने में विफल

रहा है, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत कोई मामला नहीं बनता है।

21. कृष्ण कुमार मलिक बनाम राज्य (2011) 7 एससीसी 130 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि–

> ''31. इसमें कोई संदेह नहीं है, यह सच है कि किसी आरोपी को बलात्कार के अपराध के लिए दोषी ठहराने के लिए, पीड़ित का एकान्त साक्ष्य पर्याप्त है, बशर्ते वह आत्मविश्वास को प्रेरित करता हो और बिल्कुल भरोसेमंद, बेदाग और उत्कृष्ट गुणवत्ता का होना चाहिए। ...''

22. राजस्थान राज्य बनाम बाबू मीन (2013) 2 स्केल 479 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि मौखिक गवाही को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात्, (1) पूरी तरह से विश्वसनीय, (2) पूरी तरह से अविश्वसनीय और (3) न तो पूरी तरह विश्वसनीय और न ही पूरी तरह अविश्सनीय। किसी एक गवाह की पूरी तरह विश्वसनीय गवाही के आधार पर किसी आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है। हालाँकि, किसी गवाह की गवाही, जो न तो पूरी तरह से विश्वसनीय है और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय है, को पुष्टि की आवश्यकता होगी। उक्त निर्णय का प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिया गया है।:

> ''8. हमें श्री जैन के इस व्यापक तर्क को स्वीकार करने में थोड़ी सी भी झिझक नहीं है कि दोषसिद्धि पीड़ित की एकमात्र गवाही पर आधारित हो सकती है, यदि उसे विश्वसनीयता के योग्य और विश्वसनीय पाई जाती है और इसके लिए किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। यह

अक्सर कहा गया है कि मौखिक गवाही को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत कया जा सकता है, अर्थात् (1) पूरी तरह से विश्वसनीय, (2) पूरी तरह से अविश्वसनीय और (3) न तो पूरी तरह से विश्वसनीय और न ही अविश्वसनीय। किसी एक गवाह की पूरी तरह से विश्वसनीय गवाही के मामले में बिना किसी पुष्टि के दोषसिद्धि की स्थापना की जा सकती है। यदि अपराध की प्रकृति ऐसी है कि यह एकांत में किया गया है तो यह सिद्धांत अधिक सख्ती से लागू होता है। यदि अभियोजन एक गवाह की पूरी तरह से अविश्वसनीय गवाही पर आधारित है, तो न्यायालय के पास आरोपी को दोषमुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।''

23. इस प्रकार, उपर्युक्त मामलों में शीर्ष न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि और उपरोक्त मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए अभियोजन पक्ष पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 और धारा 323 और 506 की सामग्री को साबित करने में सक्षम नहीं था। मेरी सुविचारित राय है कि अवर न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों को नजरअंदाज करके या अस्वीकार्य साक्ष्यों पर विचार करके उपरोक्त अपराधों के लिए आरोपी/अपीलकर्ता को दोषी ठहराया है इसलिए, विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को दोषी ठहराने और कारावास भुगतने का जो फैसला और आदेष पारित किया गया है, उसे अपास्त किया जाना चाहिए।

24. परिणामस्वरूप, आपराधिक अपील स्वीकृत की जाती जाती है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम)/सत्र न्यायाधीश, नैनीताल द्वारा

सत्र परीक्षण संख्या 15 वर्ष 2014 राज्य बनाम मोहम्मद में दिनांक 16.07.2014 को पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी जमानत पर है। उसे समर्पण की जरूरत नहीं है। उसके जमानतनामे को रद्द कर दिया गया है तथा जमानतियों को उनके दायित्व से मुक्त किया जाता है।

25. अनुपालन हेतु अवर न्यायालय के अभिलेख के साथ इस आदेश की एक प्रति अवर न्यायालय को वापस प्रेषित की जाए।

(लोक पाल सिंह जे.)
13.01.2020

ममता